संख्या- 51 /2018 / 602 / चार-2018-23(ते0वि0आ0)/12

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2018

विषयः- तेंरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कुसुम सरोवर एवं छतरी, गोवर्धन के संरक्षण एवं रेनोवेशन तथा विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मथुरा में कुसुम सरोवर एवं छतरी, गोवर्धन के संरक्षण एवं रेनोवेशन तथा विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 1035.19 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 987.22 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 414 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 15 फरवरी, 2013 द्वारा धनराशि रू0 200.00 लाख , शासनादेश संख्या- 974 /चार-2013-23(ते0वि0आ0)/12 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 द्वारा धनराशि रू0 250.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 33/ 1096 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रू0 199.85 लाख , शासनादेश संख्या- 22/ 2016/4004 /चार-2015-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा रू0 150.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 191/ 2016/2113 /चार-2016-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा रू0 151.10 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 950.95 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी , तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 36.27 लाख (रूपये छत्तीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

(1) निदेशक, पुरातत्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, पुरातत्व निदेशालय की होगी।

(2) निदेशक, पुरातत्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) निदेशक, पुरातत्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, संस्कृति द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

2- प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य आदि विषयक शासनादेश संख्या- 414 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 15 फरवरी, 2013, शासनादेश संख्या- 974 /चार-2013-23(ते0वि0आ0)/12 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 , शासनादेश संख्या- 33/ 1096 /चार-2013-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 24 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या- 22/ 2016/4004 /चार-2015-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 05 फरवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या- 191/ 2016/2113 /चार-2016-23 (ते0वि0आ0)/12 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित प्रतिबन्ध /शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक - 4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत-04-कला तथा संस्कृति -106-संग्रहालय-04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन- 0401-ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों , संग्रहालयों के प्रतिरक्षण एवं सरंक्षण तथा प्रमुख विरासत स्थलों को जोडने वाली सड़को का सुदृीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7-283 /दस-2018 दिनांक 24 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या - /2018 / 602 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण खण्ड-30 आगरा, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा।
8 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/